न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 52/2015

01. हजारी पुत्र देवा
02. बदरी पुत्र देवा

} जातिगण माली निवासीगण मऊ तहसील मांगरोल

प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

01. सीताराम पुत्र गोपाल
02. गोपाल पुत्र देवा
03. केसर बाई पत्नि प्रभू

} जातिगण माली निवासीगण मऊ तहसील मांगरोल

04. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
05. सब रजिस्ट्रार तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0 टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील प्रार्थीगण : श्री भंवर सिह गौड़ एवं श्री लवकुल गौड़

वकील अप्रार्थीगण : श्री रामरतन गोचर

दायरा दिनांकः 03.09.2015

निर्णय दिनांक : 14.02.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 60 खसरा नं. 600 रकबा 0.06 है0 एवं खाता संख्या 61 खसरा नं0 122 रकबा 2.96 है0, खसरा नं0 163 रकबा 1.37 है0, खसरा नं0 212 रकबा 1.57 है0, खसरा नं. 306 रकबा 1.94 है0, खसरा नं. 547 रकबा 0.12 है0, खसरा नं. 556 रकबा 0.36 है0, खसरा नं. 559 रकबा 0.12 है0, खसरा नं. 560 रकबा 0.09 है0, खसरा नं. 562 रकबा 0.24 है0, खसरा नं. 564 रकबा 0.53 है0, खसरा नं. 577 रकबा 0.13 है0, खसरा नं. 585 रकबा 1.12 है0, खसरा नं. 585/1425 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 597 रकबा 0.13 है0, खसरा नं. 822 रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 599 रकबा 0.10 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 10.85 है0 वाके ग्राम मऊ तहसील मांगरोल जिला बारां स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 2 व 3 के शामलाती खाते दर्ज है। उक्त आराजी में प्रत्येक खातेदार का हिस्सा 1/4 निहित है, उक्त आराजी का पारिवारिक बटंवारा हो चुका है तथा सभी खातेदार अपने अपने हिस्से को काविज काश्त कर रहे है। यह कि पूर्व खातेदार प्रभू का देहान्त होने के पश्चात प्रभू के हिस्से की आराजी अप्रार्थी कम 3 के खाते दर्ज कर दी गयी। खातेदार प्रभू की मृत्यु दिनांक 9.4.2015 को हुई। उसी समय स्टाप पेपर पर बटंवारा प्रस्ताव पर लिखा गया। यह कि अप्रार्थी कम 3 केसरबाई 65 वर्ष की वृद्ध महिला है, केसरबाई मधुमेह की बीमारी से लम्बे समय से बीमार होने के कारण आंखो की रोंशनी, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गयी है इसलिए अप्रार्थी कम 1 व 2 केसरबाई अप्रार्थी कम 3 के हिस्से की आराजी का बेचान करना चाहते है ताकि केसर बाई अप्रार्थी कम 3 की मोजुदगी में ही उसके हिस्सें की आराजी के मालिक बन सके। यह कि अप्रार्थी कम 1 व 2 केसरबाई अप्रार्थी कम 3 की आराजी को बेचान करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी तथा प्रार्थीगण को बिना कारण की मुकदमें बाजी में उलक्षना पडेगा। यह कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करे कि अप्रार्थीगण व उनके वैध प्रतिनिधी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 वर्णित आराजी खाता संख्या 60 की किता 1 रकबा 0.06 है0 व खाता संख्या 61 की किता 16 रकबा 10.85 है0 आराजी वाके ग्राम मऊ तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0) को किसी भी प्रकार रहन,

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned with CamScanner

बेचान व हस्तान्तरण नही करेगे तथा राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखेगे। तथा प्रार्थीगण को उक्त वर्णित खाते में उनके हिस्से की आराजी को बटंवारे के अनुसार प्राप्त हुयी है, के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण व उनके वैध प्रतिनिधी कोई बाधा उत्पन्न नही करेगे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 03.09.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम संख्या 1 ता 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाइल है। जवाब में स्पष्ट किया है कि विवादित आराजी शामलाती है जिस पर प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण पारिवारिक बंटवारे के आधार पर सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। यह कि अप्रार्थी कम 3 निःसंतान है और अपने पति के जीवन काल में ही उनकी मृत्यु के 2 वर्ष पहले से ही दानो पति पत्नि बीमारी के कारण अप्रार्थी कम 3 के पास रहने लगे। अप्रार्थी कम 3 एवं उनके पति प्रभू अप्रार्थी कम 1 के पास ही रहे है एवं एवं अप्रार्थी कम 1 ने पुत्र की भांति अप्रार्थी कम 3 एवं उनके पति की सेवा की है। अप्रार्थी कम 3 वर्तमान में मधुमेह की मरीज है जिसका इलाज अप्रार्थी कम 1 की करवा रहा है। अप्रार्थी कम 3 की स्थिति को देखकर प्रार्थीगण अप्रार्थी कम 3 के हिस्से की आराजी को हडपना चाहते है। अप्रार्थी कम 3 स्वतंत्र खातेदार है व अपने हिस्से की आराजी को स्वयं काश्त करें, बेचान करें, रहन रखे इसमें अन्य खातेदारों व रिश्तेदारो को आपत्ति होना नाजायज है। अप्रार्थी कम 3 के पति प्रभूलाल की मृत्यु के समय प्रार्थीगण ने अप्रार्थी कम 3 से बटवारा प्रस्ताव पर अंगूठा लगवा लिया जबकि उस समय अप्रार्थी कम 3 शोकाकुल थी।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय कांउटर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर प्रार्थीगण को ता फैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करे कि वह अप्रार्थी कम 1 से 3 को उनके हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करने देवे एवं दबाव न डाले।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी । बहस में वकील पक्षकारान ने उन्ही तथ्यों को दौहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित किया गया है। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. प्रथम दृष्टया मामला : प्रकरण में प्रार्थी द्वारा शामलाती खाते की विवादित आराजियात खाता संख्या 60 एवं 61 में किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द करने से रोकने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। एवं अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है कि प्रार्थीगण अप्रार्थी कम 1से 3 को उनके हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण शामलाती खाते की भूमि में सह खातेदार की हैसियत से है । साथ ही प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जवाब में प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने एक दूसरे को कब्जा काश्त मान्य है। 1964 RRD पेज 88 के अनुसार साधारणतया एक सह अभिधारी किसी दूसरे सह अभिधारी के विरूद्ध आदेश प्राप्त नही कर सकते। रिकॉर्डेड सह खातेदार को किसी अन्य रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नही साबित होता है।
2. अपूर्णनीय क्षति : चूंकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण शामलाती खाते की अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। अतः अपूरणीय क्षति का प्रश्न ही नही उठता है। यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में सावित नही है।
3. सुविधा का संतुलन : चूंकि प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नही है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, बहस वकील, राजस्व रिकोर्ड एवं उक्त तीनो बिन्दुओ की विवेचना के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मागरोल

उप खण्ड अधिकारी
मागरोल जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner